29

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक–1

संख्या–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2015 / 1946 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना

अधिसूचना

बिहार राज्य की जनसंख्या का 80% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है तथा उनमें से अधिकांश जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य में लघु एवं सीमान्त जोत वाले कृषकों की संख्या बड़े कृषकों से कहीं ज्यादा है, परन्तु भूमि–स्वामित्व के मामले में बड़े कृषक काफी आगे हैं। चूँकि बहुत कम बड़े किसान सीधे तौर पर अपनी भूमि पर खेती करते हैं, वे खेती के लिए अपनी भूमि भाड़े पर लघु एवं सीमान्त किसानों को अथवा बटाई पर दे देते हैं। इसके कारण यद्यपि लघु एवं सीमान्त किसान तथा बटाईदार जोत की अधिक भूमि धारित नहीं करते हैं, तथापि वे कृषि संकट से अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त होते हैं। बिहार राज्य में कृषि संकट ज्यादातर, प्राकृतिक / गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसलों की क्षति, कृषि ऋण की कमी, बटाईदारों अथवा भाड़े पर लिये गये भूमि में जोत करने वाले किसानों को संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध नहीं होना, लागत मूल्यों में वृद्धि, (input), कृषि उत्पादों के लिए प्रतिकूल बाजार की परिस्थितियों एवं असमान कृषि–संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। देश के अन्य राज्यों में हॉलाकि कृषि संकट के कारण कृषकों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएँ की हैं, परन्तु बिहार राज्य में ऐसी दुखद घटनाऐं नहीं हुई हैं। लेकिन, हाल में इस प्रकार की एक घटना सरकार के संज्ञान में आयी है।

कृषि संकट एवं उससे उद्भुत परिणामों के सक्रिय समाधान आवश्यक हैं। अतएव राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि कृषि संकट के कारकों को रोकने के उपाय किये जायँ तथा आत्म– हत्या करने वाले किसानों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाय। राज्य सरकार की समझ है कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा तंत्र से आच्छादित किया जाय एवं यह कि Vulnerable होने के कारण राज्य के संसाधनों पर उनका हक है।

अतएव, प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने तथा कृषि संकट के रोकथाम के उपाय करने के उद्धेश्य से **"बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना, 2015"** नामक योजना का सूत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. **विस्तार एवं योजना का प्रवृत्त होना** (Extent and Commencement)

यह योजना बिहार राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी तथा यदि शहरी क्षेत्रों के आस–पास कृषि संबंधित कार्य किये जाते हैं, तो वहाँ भी लागू होगी। यह योजना 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**

इस योजना में, जबतक कि अन्य परिप्रेक्ष्य में अभिप्रेत न हो–

(i) "**अपर समाहर्त्ता**" से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार के द्वारा जिले में अपर समाहर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए पदाविहित हो।

(ii) "**कृषि उत्पादन आयुक्त**" से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।

(iii) "**अंचल अधिकारी**" से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।

(iv) "**प्रखंड विकास पदाधिकारी**" से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।

(v) "**असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी**" से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।

(vi) "**आपदा प्रबंधन विभाग**" से तात्पर्य है राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।

(vii) "**कृषि विभाग**" से तात्पर्य है राज्य सरकार का कृषि विभाग।

(viii) "**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**" से तात्पर्य है राज्य सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

(ix) "**सहकारिता विभाग**" से तात्पर्य है राज्य सरकार का सहकारिता विभाग।

(x) "**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**" से तात्पर्य है राज्य सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

(xi) "**जिला पदाधिकारी** " से अभिप्रेत है किसी जिले का दंडाधिकारी–सह–समाहर्त्ता।

(xii) "**जिला कृषि पदाधिकारी**" से तात्पर्य है सम्बन्धित जिला का जिला कृषि पदाधिकारी।

(xiii) **"किसान"** से तात्पर्य है वैसे कृषक जो निजी कृषि भूमि को अथवा बटाईदार के रूप में कृषि कार्य करता हो तथा इसमें उसके परिवार के वैसे सभी सदस्य शामिल होगें जो कृषक अथवा बटाईधारी के साथ वैसी भूमि पर कार्य करते हो।

(xiv) **"कृषि संकट"** से तात्पर्य है प्राकृतिक एवं मनुष्य जननित आपदाओं के कारण फसल की क्षति अथवा हानि, कृषि संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी किसान की ऋण ग्रस्तता, लागत मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की उत्पादकता में कमी अथवा प्रतिकूल बाजार स्थितियों से कृषि उत्पादों की बिक्री पर असर अथवा असमान कृषि–संबंधों के फलस्वरूप कृषि संकट का उत्पन्न होना। परन्तु, यह सूची व्याख्यात्मक (illustrative) है, संपूर्ण (exhaustive) नहीं।

(xv) **"मुखिया"** से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में मुखिया का कार्य करता हो।

(xvi) **"पुलिस अधीक्षक"** से तात्पर्य है किसी जिले का पुलिस अधीक्षक।

(xvii) **"राज्य सरकार"** से तात्पर्य है बिहार सरकार।

कृषि संकट के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभों का भुगतान करने की नीति

3. आत्महत्या करने वाले किसान का निकटतम सम्बन्धी (next-of-kin) इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

4. स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया/सरपंच एवं ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के सदस्य, यथा स्थिति, का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कृषि संकट के फलस्वरूप होनेवाली आत्महत्याओं की सूचना तत्परता से तथा बिना किसी विलम्ब के स्थानीय थाना सम्बन्धित अचंलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे।

5. सम्बन्धित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा स्थानीय थाना का थानाध्यक्ष मुखिया अथवा किसी अन्य श्रोत से सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यह पड़ताल करेंगे कि वैसे आत्महत्या कृषि संकट के कारण हुई अथवा नहीं एवं यदि कृषि संकट के कारण हुई है तो उस कृषि संकट की विशिष्टियाँ क्या हैं ?

6. यदि किसान ने कृषि संकट के कारण आत्महत्या किया हो तो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष तत्परता से इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे। तदुपरान्त एक संयुक्त औपचारिक जाँच प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे। यह सूचना अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी भेजी जायेगी।

7. औपचारिक अथवा अन्य सूचना प्राप्ति के पश्चात जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अविलम्ब आत्महत्या करनेवाले किसान के परिवार से मिलेंगे तथा मृत्यु के कारणों का

पड़ताल करेंगे। यदि कृषि संकट के कारण मृत्यु हुई हो तो राज्य सरकार को तदुनुरूप सूचित किया जायेगा।

8. जिला पदाधिकारी आवश्यक समझे तो कृषि संकट के विभिन्न आयामों जिनके कारण मृत्यु हुई है कि गहराई से जाँच करायेंगे।

9. इस योजना के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा जो कृषि संकट के कारण होनेवाले किसानों की आत्महत्याओं के सभी मामलों पर विचार करेंगे। पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता इस स्थायी समिति के सदस्य होगें एवं अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन इसके सचिव होगें।

10. यदि स्थायी समिति प्राप्त प्रतिवेदनों तथा वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संतुष्ट होती है कि कृषि संकट के कारण किसान ने आत्महत्या की है तो मृतक के निकटतम आश्रित को जिला पदाधिकारी के द्वारा निम्न लाभ दिये जायेंगे–

(i) आर्थिक असुरक्षा के न्यूनीकरण एवं तात्कालिक वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार के **"पारिवारिक लाभ योजना "** के वर्त्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत तत्परता से लाभ दिये जायेंगे।

(ii) मृतक किसान की विधवा को राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के वर्त्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।

(iii) मृतक के निकटतम आश्रित (next-of-kin) के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रूपये की राशि वैसी योजना में जमा की जायेगी जिसमें खाताधारक को वित्तीय सहायता के रूप में मासिक ब्याज प्राप्त हो सके।

(iv) 1 लाख रूपये की सीमा के अन्तर्गत एक मुश्त ऋण समझौता लेनदारों (Creditors) के साथ किया जायेगा।

11. आपदा प्रबंधन विभाग के बजटीय उपबंध में से अनुग्रह अनुदान तथा ऋण समझौता के लिए सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी।

12. अनुग्रह अनुदान की राशि वैसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो मृतक के निकटतम आश्रित (next- of- kin) को सर्वाधिक लाभ पहुँचा सके।

13. स्थायी समिति के द्वारा कागजातों एवं अन्य सबुतों का परिक्षण कर ऋण समझौता की राशि निर्धारित की जायेगी तथा लेनदारों (Creditors) के साथ ऋण समझौता के पूर्व एक निश्चित निष्कर्ष निर्धारित कर लिया जायेगा। यदि मृतक के द्वारा लेनदारों (Creditors) के साथ कोई बंधपत्र (Mortgage Deed) निष्पादित किया गया हो तो वह बंधपत्र (Mortgage Deed) मृतक के निकटतम आश्रित (next- of- kin) को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा तथा ऋण समझौता के पूर्व लेनदार के द्वारा मोचन विलेख निष्पादित किया जायेगा।

14. इस योजना के अन्तर्गत दिये जानेवाले लाभ, यदि लागू हो तो है तो संकटग्रस्त परिवार को आत्महत्या की सूचना प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर दे दिये जायेंगे।

कृषि संकटग्रस्त परिवारों के पुनर्स्थापन की नीति

15. सामान्य रूप से स्थायी समिति तथा विशेष रूप से जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग के कर्मी संकटग्रस्त परिवारों के साथ एक वर्ष अथवा उस अवधि तक कार्य करेंगे जो संकटग्रस्त परिवार को संकट से उबारने के लिए आवश्यक है। ये कर्मी कृषि ऋण, कृषि बीमा लाभ, कृषि तकनीक उत्पादक सामग्री (input) के उपयोग, कृषि के वैविधिकरण (Diversification), उत्पाद सुविधाओं की अधिप्राप्ति को संकटग्रस्त परिवारों तक पहुँचने में सहायता करेंगे एवं भूमि सम्बन्धी वैसे मामले जो उन्हें प्रभावित करते हो का समाधान करेंगे।

16. सामान्य रूप से स्थायी समिति तथा विशेष रूप से जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संकटग्रस्त परिवार कृषि के विकासात्मक योजनाओं एवं अन्य सम्बन्धी विभागों की योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) से आच्छादित हो जाए।

कृषि संकट के रोकथाम के उपाय

17. जिला ऋण योजना के अनुसार किसानों के लिए संस्थागत ऋण के प्रोत्साहन, विस्तारीकरण एवं अनुश्रवण करने तथा सभी सुयोग्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) एवं जिलास्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) जैसे मंचों का भरपुर उपयोग किया जायेगा।

18. कृषि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार के कृषि रोड मैप के अन्तर्गत लाभ तथा अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार की कृषि से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, वैसे क्षेत्रों, जो कृषि जलवायु तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के कारण कृषि संकट के लिए भेद्य है, में केंद्रित होगा।

19. राज्यस्तर पर कृषि संकट की रोकथाम के लिए उपायों पर सुझाव देने एवं इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जायेगा। कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा प्रधान सचिव इस समिति के सदस्य होगें। कृषि निदेशक इस समिति के संयोजक होंगे।

विवेचना तथा कठिनाईयों का निवारण

20. यदि इस योजना की विवेचना अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग विवेचना के लिए सक्षम होगा एवं इस योजना के

क्रियान्वयन के लिए निदेश जारी करेगा। विभाग का निर्णय वैसे सभी मामलों में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक– 1946 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलडीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक– 1946 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक– 1946 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

प्रतिलिपि :– सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक– 1946 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक– 1946 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/15

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,